खास खबरें

अर्जुन नगर से 20 वर्षीय युवती लापता

नप्र, भोपालः टीटी नगर थाना पुलिस ने धारा 140(3) बीएनएस के तहत 20 वर्षीय अमीषा साकेत की गुमशुदगी दर्ज की है। फरियादी प्यारेलाल साकेत ने बताया कि उनकी पुत्री 2 अगस्त की रात अर्जुन नगर फेस-1 स्थित घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

एम्स अस्पताल से मरीज लापता

भोपाल। बाग सेवनिया थाना पुलिस ने धारा 140(3) बीएनएस के तहत अयोध्याप्रसाद यादव (42) की गुमशुदगी दर्ज की है। फरियादी कजराफूला सदैया ने शिकायत में बताया कि अयोध्याप्रसाद एम्स अस्पताल से लापता हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

सूने कमरे से नकदी और जेवर चोरी

भोपाल। टीटी नगर थाना क्षेत्र के हर्षवर्धन नगर में अज्ञात चोर सूने कमरे से 20 हजार रुपए नकद और 40 हजार रुपए कीमत की सोने की अंगूठी चोरी कर ले गए। फरियादी रोशनलाल सेन की शिकायत पर पुलिस ने धारा 305ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी अज्ञात है।

शहर में चार वाहन चोरी पुलिस तलाश में जुटी

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी के चार मामले दर्ज किए गए हैं। शाहपुरा में फरियादी शिवम अठोटे की हीरो बाइक, अशोका गार्डन में यशराज पाल की बाइक, टीटी नगर में आयुष मेहरा की बाइक तथा पिपलानी में राजेश कुमार की स्कूटी अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। सभी मामलों में धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से युवक घायल

शाहपुरा थाना पुलिस ने धारा 281 बीएनएस के तहत ऑटो चालक यावेश आहूजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी रतनलाल ने शिकायत में बताया कि रघुनाथ नगर में लापरवाही से ऑटो चलाते हुए चालक ने टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते दो लोगों पर कार्रवाई

भोपाल। शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले राहुल गौर और शंकर यादव के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36-बी के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।

पांच लोगों की गुमशुदगी दर्ज

भोपाल। टीटी नगर, श्यामला हिल्स, निशातपुरा और छोला मंदिर थाना क्षेत्रों में पांच लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। गुमशुदा लोगों में अमीषा साकेत, भाव सिंह बासकले, भूमि राव, ज्योति यादव और गोलू उर्फ कुन्नू पंथी शामिल हैं। सभी मामलों में पुलिस तलाश कर रही है।

मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 51,999 रुपए

भोपाल। ऐशबाग थाना पुलिस ने धारा 318(4), 319(2) एवं 308 बीएनएस के तहत साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फरियादी श्यामलाल ने शिकायत में बताया कि अज्ञात आरोपी ने मोबाइल हैक कर उनके खाते से 51,999 रुपए निकाल लिए।

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 42 हजार की ठगी

टीटी नगर थाना पुलिस ने धारा 318(4), 319(2) एवं 301(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी रुपेश रैकवार ने बताया कि अज्ञात आरोपी ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 42 हजार रुपए ठग लिए।

गाली देने के विवाद में मारपीट,मोबाइल तोड़ा

मिसरोद थाना पुलिस ने धारा 296ए, 115(2), 324(2), 351(2) एवं 79 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी सीबी प्रजापति ने आरोप लगाया कि आरोपी कार्तिक जैन ने गाली-गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और मोबाइल तोड़ दिया।

राजधानी में करोड़ों की जाली बैंक गारंटी पर करोड़ों का सरकारी ठेका

एमपी-यूडीसी में बड़ा फर्जीवाड़ा, एमपी नगर थाने मे सूरत की कंपनी पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपी-यूडीसी) में करोड़ों रुपये के सरकारी ठेकों से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

आरोप है कि गुजरात के सूरत की एक कंपनी ने 6.57 करोड़ रुपये की जाली बैंक गारंटी जमा कर करोड़ों रुपये के सरकारी प्रोजेक्ट हासिल कर लिए। काम पूरा होने के बाद बैंक गारंटी का भौतिक सत्यापन कराया गया तो पूरा मामला उजागर हो गया। शिकायत के आधार पर भोपाल के एमपी नगर थाने में कंपनी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार एमपी-यूडीसी के वित्त नियंत्रक सौरभ तिवारी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि एमपी-यूडीसी प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराती है। वर्ष 2024 में एडीबी फेज-1, एडीबी फेज-2 तथा विशेष निधि के अंतर्गत मंडलेश्वर परियोजना के टेंडर एम/एस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कंपनी प्रा. लि. (ज्वाइंट वेंचर विद साउथ गुजरात कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.) को दिए गए थे। अनुबंध के तहत कंपनी ने निष्पादन और सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में आठ बैंक गारंटी, जिनकी कुल राशि करीब 6.57 करोड़ रुपये थी, जमा कराई। इनमें बैंक ऑफ इंडिया की साकीनाका (मुंबई) शाखा और आईसीआईसीआई बैंक की ठाणे स्थित शाखा के नाम से जारी बैंक गारंटी शामिल थीं।

ई-मेल से मिली पुष्टि, डाक से खुला फर्जीवाड़ा

प्रारंभिक सत्यापन के दौरान बैंक गारंटी पर दर्ज ई-मेल पतों पर पुष्टि मांगी गई, जहां से दस्तावेज सही होने का जवाब मिला। इसी आधार पर अनुबंध प्रभावी कर दिए गए और कंपनी ने परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया। बाद में एमपी-यूडीसी ने मूल बैंक गारंटी दस्तावेज संबंधित बैंक शाखाओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजकर भौतिक सत्यापन कराया। जांच में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नाम से प्रस्तुत पांचों बैंक गारंटी को फर्जी बताया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने नाम से जमा कराई गई तीनों बैंक गारंटी जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

संचालकों से नहीं हो सका संपर्क : जांच के दौरान पुलिस ने कंपनी के संचालकों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उपलब्ध दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस अब कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारियों और इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर एमपी नगर थाना पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जांच का दायरा बढ़ेगा

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जाली बैंक गारंटी तैयार करने, फर्जी ई-मेल आईडी के जरिए सत्यापन कराने और सरकारी ठेका हासिल करने की पूरी साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

मप्र के निजी मेडिकल कॉलेजों में नहीं रहेगा मैनेजमेंट कोटा

एमबीबीएस-बीडीएस में पुराने नियमों से ही होंगे प्रवेश, आज से काउंसलिंग शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा नहीं रहेगा। शासन ने चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पहले की तरह निजी कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटा और 15 प्रतिशत एनआरआई कोटे की रहेंगी। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश नीट स्कोर के आधार पर ही होंगे।

प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 अगस्त से पंजीयन के साथ शुरू हो रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने निजी कॉलेजों में 35 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा फिर से शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग देख रहे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे प्रतिभावान विद्यार्थियों को नुकसान होता है। वर्ष 2014 से पीएमटी की जगह नीट से प्रवेश शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा बंद कर दिया था। चौथे चरण यानी कॉलेज स्तर की काउंसलिंग को हाइब्रिड मॉडल की जगह सिर्फ ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं हुआ। प्रदेश में वर्तमान में 19 शासकीय और 14 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में शासकीय कॉलेजों में एमबीबीएस की 2,850 और निजी कॉलेजों में 2,700 सीटें थीं। इस सत्र में सीट चार्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीटों की संख्या में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

बीटेक एडमिशन में 40 हजार सीटें अब भी खाली

भोपाल। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक प्रवेश के दो चरणों की ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद करीब 40 हजार सीटें खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग (डीटीई) के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 135 इंजीनियरिंग संस्थानों में उपलब्ध 75,249 सीटों में से 39,589 सीटों पर अब तक प्रवेश नहीं हो सका है। अब इन सीटों को भरने की जिम्मेदारी कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) पर होगी, जिसकी प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। डीटीई के 31 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार बीटेक प्रवेश के लिए 52,248 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जबकि 56,414 अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की। दो चरणों की काउंसलिंग के बाद 35,660 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इसके बाद विद्यार्थियों को इंटरनल ब्रांच चेंज का अवसर भी दिया गया, जिसका आवंटन सोमवार को जारी कर दिया गया। इस वर्ष भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की पहली पसंद रही। करीब 21 हजार सीटों में से लगभग 7 हजार विद्यार्थियों ने सीएसई में प्रवेश लिया। इसके विपरीत सिविल इंजीनियरिंग की 7,201 सीटों में केवल 1,042 प्रवेश हुए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी पारंपरिक शाखाओं में भी अपेक्षा के अनुरूप प्रवेश नहीं मिल सके।

दतिया उपचुनाव हार के बाद भाजपा जिला कार्यकारिणी भंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए जिला कार्यकारिणी सहित मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह कार्रवाई चुनावी हार की समीक्षा के लिए गठित विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर की है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट और विभिन्न पत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। ऐसे पोस्ट और पत्र साझा करने वालों की सूची तैयार कर उनके राजनीतिक संबंधों की जांच की जाएगी। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि दतिया में संगठन का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, सह प्रभारी राहुल कोठारी, पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित करीब 25 वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में तीन वर्ष की सजा मिलने के बाद रिक्त हुई थी। उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर भाजपा को पराजित किया।

लोक सेवाओं का समय पर प्रदाय सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव

भोपाल। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को सभी लोक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं।

9 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, सितंबर के पहले 10 दिनों में होंगे चुनाव

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छात्र राजनीति में हलचल, एनएसयूआई ने किया फैसले का स्वागत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करीब नौ वर्ष बाद छात्रसंघ चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2026 के पहले दस दिनों में चुनाव कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्र राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वर्ष 2017 के बाद पहली बार छात्र अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे।

प्रदेश में लगभग 70 से 80 विश्वविद्यालय और 2,700 से अधिक महाविद्यालय हैं, जहां लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में छात्रसंघ चुनाव का असर पूरे उच्च शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था, निष्पक्ष मतदान और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनाव लिंग्डोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराए जाने की संभावना है, जिनमें उम्मीदवारों की पात्रता, चुनाव खर्च, 75 प्रतिशत उपस्थिति और बाहरी हस्तक्षेप पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनएसयूआई ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे छात्रों की जीत बताया। संगठन ने राज्य सरकार से छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली (डायरेक्ट इलेक्शन) से कराने की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा, 'छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने के लिए एनएसयूआई लगातार संघर्ष कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार सितंबर में न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव कराए, ताकि छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके। 'याचिकाकर्ता अदनान अंसारी ने कहा, 'छात्रसंघ चुनाव को लेकर वर्ष 2014 से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी।

300 पौधों के रोपण से मध्यप्रदेश पुलिस ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

भोपाल। पर्यावरण संरक्षण और हरित परिसर के विकास के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस की 7वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल ने लाल परेड ग्राउंड में वृहद पौधारोपण अभियान चलाया। सेनानी हितेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर 300 पौधे रोपे।

राज्यसभा चुनाव मामले में भाजपा के तीन सांसदों को नोटिस

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर उठे सवाल, 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

मामला कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने से संबंधित चुनाव याचिका का है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी से भी जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की एकल पीठ ने मीनाक्षी नटराजन की ओर से दायर चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया है कि उनका नामांकन अनुचित आधार पर निरस्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने महेश केवट के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग भी की है। यद्यपि तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के निर्वाचन को सीधे चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। न्यायालय का मानना है कि इस मामले में अंतिम निर्णय का प्रभाव उनके निर्वाचन पर भी पड़ सकता है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे।

नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है : सिद्धभाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नवनिध पब्लिक स्कूल के नवनिर्वाचित विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परिषद सदस्यों ने पद एवं स्कूल के अनुशासन का पालन करने की शपथ ली। समारोह में स्कूल के मार्गदर्शक सिद्धभाऊजी शामिल हुए।

भाऊजी ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा-भाव और आदर्श आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई छात्र परिषद विद्यालय को शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

प्राचार्य ने दिलाई शपथ : प्राचार्य अमृता मोटवानी ने विद्यालय कप्तान मान्या मोरंदानी एवं उप कप्तान लवीना सावलानी को ध्वज प्रदान कर सम्मानित किया, साथ ही अन्य पदाधिकारियों को बैज व सैश पहनाकर शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने दायित्वों का निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का संदेश दिया।

इन छात्राओं ने ली शपथ : नवगठित छात्र परिषद में विद्यालय कप्तान मान्या मोरंदानी, उप कप्तान लवीना सावलानी, साधु वासवानी सदन की कप्तान नैना गोस्वामी व उप कप्तान नीलम सावलानी, डॉ. राधाकृष्णन सदन की कप्तान लिशा पेसवानी व उप कप्तान समृद्धि जैन, स्वामी दयानंद सदन की कप्तान निशा पेसवानी व उप कप्तान दिया ख्यानी तथा साधु हीरानंद सदन की कप्तान चांदनी मोटवानी व उप कप्तान पलक वर्मा शामिल हैं।

साहित्य सचिव नूपुर लालवानी, उप सचिव जेनिका असवानी, खेल सचिव तनिषा डोगरा, उप सचिव प्रेरणा जाट, सांस्कृतिक सचिव क्षमा तिवारी, उप सचिव स्तुति भट्ट, छात्र कल्याण व अनुशासन सचिव एकता कृपलानी, उप सचिव दीपिका लालवानी, स्टेम व सस्टेनेबिलिटी सचिव तन्वी पाटिल, उप सचिव भाविशा रमानी, यूथ क्लब समन्वयक हिमांशी शेवानी, उप समन्वयक दिशा जैन, कॉमर्स सचिव प्रेरणा रतलानी व उप सचिव याशिका ज्ञानचंदानी को जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।

मोबाइल से खाते से 66,400 रुपए की साइबर ठगी

नप्र, भोपालः सूखी सेवनिया थाना पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी ने शिकायत में बताया कि अज्ञात साइबर ठग ने मोबाइल के माध्यम से उनके खाते से 66,400 रुपए निकाल लिए।

पति पर प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महिला थाना पुलिस ने धारा 85, 351(2) एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी निशा जैन ने पति आशीष जैन पर लंबे समय से प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दहेज में कार की मांग, पति सहित तीन पर केस

महिला थाना पुलिस ने धारा 85, 351(2), 3(5) बीएनएस तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी प्रमिला ठाकुर ने पति सुरेश ठाकुर, गुलाब बाई और निब्बी बाई पर दहेज में कार की मांग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, रामेश्वर प्रसाद चौबे, पिता स्व. श्री शिव प्रसाद चौबे, वर्तमान में गृह क्रमांक 243, गली क्रमांक 7, शारदा नगर (ए), नारियलखेड़ा, भोपाल 462001 में निवासरत हूँ, ने अपने पुत्र का नाम मनोज कुमार चोबे (Manoj Kumar Chobey) से बदलकर मनोज़ कुमार चौबे (Manoj Kumar Chaubey) कर दिया है, शपथ पत्र दिनांक 31.07.2026 के माध्यम से।

1187

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति
बकतरा, जिला-सीहोर (म.प्र.)

क्र./मंडी/स्टोर/26-27/180 — दिनांक : 03.08.2026

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर 'स' श्रेणी मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 30 मै.टन क्षमता के एवं 10 मै. टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित संरचना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_526651 1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 06.08.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 21.08..2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
बकतरा, जिला-सीहोर

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
बकतरा, जिला-सीहोर

म.प्र. माध्यम/127350/2026

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्रं.1 भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 47/ई.सी.एक्ट/2026

सूचना-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.05.2025 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री हबल माझी आ. श्री गोकुल माझी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता दिलीप बिल्डकान लि. द्वारा इस न्यायालय में रूपये 12,70,800/- शब्दों बारह लाख सत्तर हजार आठ सौ रूपये जमा किये गये है। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 10.09.2026 को सुबह 11.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक 02.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा के अधीन जारी किया गया।

आयुक्त
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील कोलार जिला भोपाल

आवेदन क्र. 02280203202001-APP-29090308
क्रं. क्यू/2026 — **भोपाल, दि. 04/08/2026**

सूचना-पत्र (वास्ते सीमांकन)

प्रति,1. श्रीमती प्रेरणा श्रीवास्तव पत्नी प्रशांत श्रीवास्तव नि. 9/11 श्रीराम काम्प्लेक्स मालवीय नगर भोपाल, 2. प्रमोद यादव पिता एम.आर. यादव नि. 365 अरविन्द बिहार कॉलोनी बागमुगालिया भोपाल, 3. श्रीमती प्रभा यादव पत्नी के.एन. यादव नि. अरविन्द बिहार कॉलोनी बागमुगालिया भोपाल, 4. मेसर्स भगवती रियल्टी द्वारा श्री संजय बूलचंदानी आ. डी.डी बुलचंदानी नि. भोपाल, 5. विवेक गोयल पिता गुरुपोत्तम दास गोयल नि. ई-7/32 लाला लाजपत कॉलोनी भोपाल, 6. एच.एल. श्रीवास्तव पिता बी.एल. श्रीवास्तव, मंजुला श्रीवास्तव पत्नी सुनील कुमार नि. भोपाल, 7. मेसर्स असनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा विसनदास असनानी पिता एच.असनानी नि.भोपाल, 8. अभिषेक सोनी पिता फूलचंद सोनी नि. भोपाल। 9. श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव पिता विजय कुमार श्रीवास्तव नि. बिलासपुर (छ.ग.), 10 सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचनार्थ।

विषय- सीमांकन किये जाने बाबत् सूचना पत्र। **संदर्भ**- न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र..../अ-12/2026-27 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बागमुगालिया प.ह.न. 21 रा.नि.मं. वृत्त 6 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसराक क्र. 352/2, 352/4, 352/8 रकबा 0.1050, 0.1050, 0.1500 हे. कुल रकबा 0.3600 हे. जो कि आवेदक/आवेदिका मेसर्स पी.एम.डेवलपर्स द्वारा भागीदार श्री राजीव कुमार जैन, पिता/पति श्री राजेंद्र कुमार जैन व अन्य नि. भोपाल के नाम से है, का सीमांकन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 11/08/26 को समय 4:00 बजे 4:000 PM किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्वणित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.)

1186

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने अब्दुल अलीम खान पुत्र अब्दुल सलाम खान निवासी- 49, इकबाल कॉलोनी, इकबाल मस्जिद के पास, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) एवं अब्दुल नसीम खान पुत्र अब्दुल सलाम खान निवासी-26, कृष्णा. कॉलोनी, पी.जी.बी.टी. कॉलेज, भोपाल (मध्यप्रदेश) के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता मकान क्रमांक 26 पक्का आरसीसी का छतदार एक मंजिला आवासीय स्थित कृष्णा कॉलोनी, पी.जी.बी.टी. कॉलेज, नगर निगम वार्ड क्रमांक-13, भोपाल (मध्यप्रदेश) जिसकी चतुर्थ सीमाएं दिशा उत्तर में- मकान नफीस खान का, दिशा दक्षिण में-रोड, दिशा पूर्व में-अब्दुल वहीद खान का मकान, दिशा पश्चिम में-मकान मूही सिद्दीकी का है। जिसका कुल क्षेत्रफल-1669.50 वर्गफिट अर्थात 155.10 वर्गमीटर को क्रय करने हेतु बयाना अनुबंध कर बयाना राशि का भुगतान कर दिया गया है जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कराना शेष है। यह कि उक्त मकान से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, सोसायटी, बैंक का कोई हित व अनुबंध, साम्यिक बंधक या अन्य किसी प्रकार से कोई हित हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर नीचे लिखे पते पर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। म्याद समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उपरोक्त वर्णित मकान का विक्रय पत्र का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगा। **सूचित हो।**

एम.जी. मुखरैया एडवोकेट
आदित्य काम्पलेक्स, छोला रोड भोपाल
मो. 9329092128

1185

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/905/2025
केवल कृष्ण **बनाम** जगजीत कलसी
NEXT DATE: 09-09-2026

प्रेषिती-1. जगजीत कलसी स्व. प्यारा सिंह कलसी,पता-मकान नंबर 81, नर्मदा नगर पल्लवी नगर, बावडिया कला, शाहापुरा, भोपाल, 2. लवनीत कौर पता-मकान नंबर 81, नर्मदा नगर पल्लवी नगर, बावडिया कला, शाहापुरा, भोपाल, 3. अनिल कुमार हबलानी, आसरादास हबलानी, पता-एफ-2/250, निखिल होम्स, फेस-6, ओल्ड अशोका गार्डन भोपाल, 4. कंचन हबलानी अनिल कुमार हबलानी, पता-एफ-2/250, निखिल होम्स, फेस-6, ओल्ड अशोका गार्डन, भोपाल, 5. शासन, पता-द्वारा जिलाध्यक्ष-जिला भोपल, मध्यप्रदेश। **यह कि प्रार्थी** केवल कृष्ण ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/905/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 21-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें-1.** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

न्यायाधीश, श्रीमती पलक मनीष राय
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड भोपाल

1184

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

Email-dsp.admin_bhauri@mppolice.gov.in — Fax.no.0755-2523903

क्र./सहा. निदेशक (संपदा)/मप्रपुअ/रीडर/एम-726/26 — **दिनांक- .07.26**

ई-निविदा सूचना

1.	पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल के लिये वर्ष 2026-27 के लिये साफ-सफाई एवं अन्य कार्य के लिये ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से MP E-TENDER के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
2.	ई-निविदा सूचना संख्या (TENDER ID)-2026_MPP_525240_1
3.	कार्य का नाम-मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में वर्ष 2026-27 के लिये साफ-सफाई कार्य हेतु कुशल, अकुशल एवं अर्धकुशल कर्मचारियों को टूल्स एवं सामग्री सहित एक वर्ष के लिये नियोजित किया जाना।
4.	कार्य की अनुमानित लागत-60,00,000/- (साठ लाख रूपये मात्र) प्रति वर्ष
5.	धरोहर राशि-1,70,000 /- (एक लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन
6.	निविदा प्रपत्र का मूल्य-2000/- मात्र ऑनलाईन
7.	निविदा डाउनलोड की तिथि एवं समय-29.07.26 के 15:00 बजे
8.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय - 12.08.26 के 15:00 बजे
9.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय-13/08/2026 के 15:00 बजे

नोट: - मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल द्वारा ऑनलाईन खुली निविदा mp.tender.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। टेण्डर के सम्बंध मे विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाईट mppolice.gov.in पर अपलोड की गई है। निविदाकार टेण्डर के नियम एवं शर्तों की जानकारी अपलोड कर देख सकते हैं।

जी-16680/26

उपुअ (प्रशा.)
हेतु सहा. निदेशक (संपदा) मप्रपुअ भोपाल